# म. प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, ग्वालियर

https://mpcci.in

# e अर्थवार्ता

## मासिक पत्रिका

- आरएनआई/एमपीएचआईएन/1997/6965
- डाक पंजीकृत सं. ग्वालियर / 40020263/2023–25
- वर्ष : 27, अंक : 06
- माह : दिसम्बर 2024


**DECEMBER 2024**

http://www.mpcci.in
eअर्थवार्ता
मासिक पत्रिका

# MSME मंत्रालय, कार्यालय MSME-डीएफओ, इंदौर एवं MPCCI के संयुक्त तत्वावधान में ''नेशनल सेमीनार ऑन एक्सपोर्ट'' आयोजित

नेशनल सेमीनार ऑन एक्सपोर्ट का आयोजन एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार, कार्यालय एमएसएमई-डीएफओ, इन्दौर एवं MPCCI के संयुक्त तत्वावधान में दि. 4 दिसम्बर,24 को 'चेम्बर भवन' में सम्पन्न हुआ।

सेमीनार के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि, अध्यक्ष-डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि पिछले 10 वर्ष में एक परिवर्तन देखा गया है कि सरकार केवल योजनाएँ नहीं बनाती है, बल्कि एमएसएमई जैसे विभागों को इस बात के लिए निर्देशित करती है कि उस योजना की विस्तार से जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। आज के इस सेमीनार का आयोजन इसी उद्देश्य से किया गया है। निर्यात कैसे करें, जब एक उद्यमी या सामान्य व्यापारी यह सोचता है, तब वह यह मान लेता है कि यह हमारे सामर्थ्य की बात नहीं है, लेकिन जब आप उसकी प्रक्रिया और नियमों को जान लेते हैं, तब आप यह तय कर लेते हैं कि मैं, इसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ। आपने कहा कि ग्वालियर अंचल एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा स्थान है। यहाँ आईसीडी मालनपुर में स्थित है। देश एवं प्रदेश स्तर के कई कार्यालय यहाँ पर मौजूद हैं। एक्सपोर्ट के लिए वातावरण तैयार करने में आज का यह सेमीनार निश्चित ही सार्थक सिद्ध होगा।

उद्घाटन सत्र में स्वागत् उद्बोधन, सहायक निदेशक, एमएसएमई डीएफओ ब्राँच ग्वालियर-श्री राजीव कुमार द्वारा दिया गया। साथ ही, सहायक निदेशक, एमएसएमई डीएफओ, इंदौर-श्री राजीव कुमार मोहनानी द्वारा उद्घाटन सत्र के बाद होने वाले सत्र की जानकारी दी गई।

इस अवसर पर तकनीकी सत्र में सर्वप्रथम, सहायक निदेशक, एमएसएमई कार्यालय-इन्दौर, श्री नीलेश त्रिवेदी द्वारा एमएसएमई एक्सपोर्ट के लिए भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले सहयोग के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पूरे देश में 5 करोड़ 57 लाख एमएसएमई उद्यम रजिस्टर्ड हैं एवं इनके द्वारा 23 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। इन रजिस्टर्ड एमएसएमई में से 2 लाख 40 हजार इकाईयों द्वारा निर्यात किया जा रहा है, जो कि 12 लाख 93 हजार करोड़ रुपये का है। आपने बताया कि ग्वालियर अचंल की हेण्डमेड कारपेट एवं गजक जीआई रजिस्टर्ड प्रोडक्ट हैं। यहाँ के सेण्ड स्टोन और टाइल्स में भी एक्सपोर्ट का बहुत पोटेंशियल है, जिसे एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। मिनरल्स का भी एक्सपोर्ट यहाँ से होता है। एमएसएमई डिपार्टमेंट एक्सपोर्ट के लिए ट्रेनिंग भी देता है। आपने कहा कि वर्तमान में भारत का ग्लोबल एक्सपोर्ट रेट 2.36% है, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य एवं सम्राट अशोक के शासनकाल में यह 35% था। मुगलकाल में भी यह 18-20% रहा, परन्तु ब्रिटिशर्स ने हमें 200 वर्ष में बहुत पीछे धकेल दिया। आपने बताया कि निर्यात-आयात के लिए आपको जीएसटी, करेंट बैंक एकाउंट, कस्टम, आईईसी, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, डीजीएफटी, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजन, उद्यम रजिस्ट्रेशन, पेन, आरसीएमसी सर्टिफिकेट आदि दस्तावेजों की जरूरत होती है।

सेमीनार में डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (डीजीएफटी) की सहायक, श्रीमती हेमा द्वारा डीजीएफटी की स्कीम के संबंध में सेमीनार में अवगत कराया कि आपको एक्सपोर्ट करने के लिए सर्वप्रथम डीजीएफटी पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जहाँ से आपको आयात-निर्यात कोड (आईईसी कोड) मिलेगा। इसे आप वेबसाइट पर अपनी जानकारी दर्ज कर, कुछ मिनटों में ही जनरेट कर सकते हैं। आपको

अपने प्रोडक्ट के लिए बाजार कहाँ से मिलेगा, यह आपको रजिस्टर्ड प्रमोशन काउंसिल से जानकारी मिलेगी, जो कि डीजीएफटी पर ही पंजीकृत होती हैं। आपको यदि यह आशंका है कि अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिया और आपका पैसा वापिस नहीं आया तो क्या होगा ? इसके लिए ईसीजीसी इंश्योरेंस तथा पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा भी न्यूनतम दर पर इंश्योरेंस किया जाता है। डीजीएफटी ने छोटे–छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए ई–कॉमर्स प्लेटफार्म उपलब्ध कराया है, जहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपने बताया कि एक्सपोर्ट की पॉलिसी प्रत्येक पाँच वर्ष में परिवर्तित होती है।

मध्यप्रदेश में निर्यात के अवसर एवं उसमें एपीडा के भूमिका विषय पर प्रेजेंटेशन, श्री अशोक कुमार द्वारा किया गया। स्पाइस बोर्ड, म. प्र. की एक्सपोर्ट स्कीम्स पर प्रेजेंटेशन, डॉ. भरत अर्जुन गुडाडे द्वारा दिया गया। डाकघर निर्यात केन्द्र पर प्रवर अधीक्षक–श्री ए. के. सिंह द्वारा प्रेजेंटेशन दिया गया। इसके साथ ही, एक्सपोर्ट सर्विस पर अमेजल ग्लोबल से श्री सौरभ कुमार, इंडिया ट्रेड पोर्टल पर श्री अमित कुमार बरेठा, फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्री के लिए भारत सरकार की योजनाओं पर श्री अक्षत अग्रवाल द्वारा प्रेजेंटेशन दिया गया। एक्सपोर्ट के लिए एसबीआई की योजनाओं पर रीजनल मैनेजर–श्री अरविन्द मिश्रा द्वारा जानकारी दी गई।

सेमीनार का संचालन, सहायक निदेशक, एमएसएमई–श्री नीलेश त्रिवेदी द्वारा तथा आभार, मानसेवी सचिव–दीपक अग्रवाल द्वारा व्यक्त किया गया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष–डॉ. राकेश अग्रवाल सहित काफी संख्या में उद्यमी उपस्थित थे।

## 70 वर्ष व उससे अधिक आयु के बुजुर्गों के 06–दिवसीय 'आयुष्मान कार्ड शिविर' का आयोजन में 500 से अधिक बने 'आयुष्मान कार्ड'

भारत सरकार द्वारा 70 वर्ष व इससे अधिक आयु के सभी नागरिकों का 'आयुष्मान कार्ड' बनाए जाने का निर्णय लिए जाने पर केन्द्र सरकार की इस योजना का लाभ संस्था के सदस्यों व उनके परिजनों को उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से 'चेम्बर भवन' में 06 दिवसीय 'आयुष्मान कार्ड' शिविर का आयोजन दि. 02 से 07 दिसम्बर,24 तक किया गया।

शिविर के शुभारम्भ अवसर पर अध्यक्ष–डॉ. प्रवीण अग्रवाल द्वारा उपस्थित जिला आयुष्मान नोडल अधिकारी–डॉ. अशोक खरे, एम एण्ड ई–श्री दत्तात्रेय कदरे, जिला मीडिया अधिकारी–श्री आई. पी. निवारिया एवं डीसीएम–श्री एम. एस. खान का फूलमाला से हार्दिक स्वागत किया गया।

छः दिवसीय शिविर में 500 से अधिक बुजुर्गों के 'आयुष्मान कार्ड' सीएमएचओ कार्यालय एवं पोस्ट ऑफिस की टीम द्वारा बनाए गए। इसके साथ ही, पोस्ट ऑफिस की टीम द्वारा आधार से मोबाइल नं. को लिंक भी किया गया।

# पुलिस अधीक्षक, श्री धर्मवीर सिंह के सानिध्य में सायबर क्राइम एवं इससे जुड़ी चुनौतियों पर बैठक आयोजित

सायबर अपराध एवं इससे जुड़ी चुनौतियों पर एक बैठक का आयोजन, पुलिस अधीक्षक–श्री धर्मवीर सिंह के सानिध्य में दिनांक 7 दिसम्बर को 'चेम्बर भवन' में किया गया।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने कहाकि सायबर को ट्रेस करने के लिए पुलिस को कई स्टेक होल्डर पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस क्राइम को ट्रेस करना एवं अपराधियों को दण्डित करना कठिन होता है। सायबर अपराध से बचने का सबसे बेहतर एवं महत्वपूर्ण उपाए जागरूकता है। हम जागरूक होंगे, तो सायबर अपराधियों के शिकंजे में नहीं आएँगे और हमें आर्थिक नुक्सान नहीं उठाना पड़ेगा। आपने कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कानून में कोई प्रावधान नहीं है। कोई भी एजेंसी चाहे वह सीबीआई, ईडी, एनआईए, कस्टम आदि हो, तो वह जिला पुलिस एवं थाने के माध्यम से ही आप तक पहुँचेगी। इसलिए डिजिटल अरेस्ट के झाँसे में शहर के नागरिक न आएँ। अनचाहे किसी नं. से आए वीडियो कॉल या लिंक को ओपन न करें। यदि आपको किसी अनचाहे नंबर से कोई वीडियो कॉल आता है और आपको वह संदिग्ध लगता है, तो उसे तुरंत कट करें और उस नंबर को ब्लॉक करने के बाद नेशनल सायबर हेल्पलाइन नं. 1930 पर शिकायत जरूर दर्ज कराएँ। सायबर अपराध घटित हुआ हो या न हुआ हो, यदि आप शिकायत करेंगे, तो इससे उस अपराध की इंटेसिटी जाँच एजेंसी को पता चलेगी।

आपने आगे कहा कि इंटरनेट का 99% डार्क वेब में उपयोग हो रहा है। सायबर अपराधी द्वारा जिन नंबर्स से कॉल की जाती है, उनको ट्रेस करना आसान नहीं होता है क्योंकि वह ड्बे क नंबर्स होते हैं और डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं में जो इंटरनेट यूज किया जाता है, उनका सर्वर किसी अन्य देश का होता है। डिजीटल माध्यमों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन डाटा की सुरक्षा के लिए उतना कार्य नहीं हो पाया है। सरकार द्वारा इस दिशा में अब तेजी से कार्य किया जा रहा है और डाटा की सुरक्षा के लिए सायबर कमाण्डो तैयार किए जा रहे हैं। जिला पुलिस द्वारा भी सायबर हेल्प नंबर जारी किया जाएगा।

आपने इस अवसर पर सायबर अपराधियों से बचाव हेतु कुछ सावधानियों से अवगत कराया, जो कि निम्नानुसार हैं :–

* सायबर अपराध की शिकायत 1930 नं. के साथ ही डायल 100 पर भी करें।
* ई स्केन एवं एम कवच एप गूगल प्ले स्टोर से डाउन लोड करें। यह एप आपके मोबाइल को स्केन कर संदिग्ध फाइलों को बताएगा। इन्हें आप अपने मोबाइल से डिलिट करें।
* मोबाइल में एप डाउनडोल करते समय आवश्यक परमीशन ही दें अधिक परमीशन माँगने वाले एप डाउनलोड न करें।
* किसी भी एपीके फाइल को मोबाइल में डाउनलोड न करें। यदि त्रुटिवश हो गई हो, तो उसे ओपन न करें और उसे डिलीट कर दें।
* अपने मोबाइल में आने वाले सॉफ्टवेयर अपडेट को तुरंत अपडेट करें।
* टू फेक्टर अथेंटिकेशन को यूज करें, जिसमें लॉगिन आईडी, पासवर्ड के अलावा ओटीपी भी आता हो।
* कोई भी कस्टमर केयर नंबर डायरेक्ट गूगल से न लेकर उस कंपनी, विभाग, बैंक की अधिकृत वेबसाइड/एप से ही सर्च करें।

* सिक्योर वेबसाइट पर ही कार्य करें। सिक्योर वेबसाइट ग्रीन कलर की **https://** से प्रारम्भ होती है।

* जिस मोबाइल नं. से आप बैंकिंग व अन्य महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, उन्हें अपने बच्चों को न दें। बार-बार अपना मोबाइल चेंज न करें।

* व्हाट्सऐप आदि एप से ऑटो डाउनलोड को ऑफ करें।

* मोबाइल लोकेशन को हमेशा ऑन न रखें।

* सायबर हाइजीन अपनाएँ और दिन में एक बार अपना फोन बंद अवश्य करें।

बैठक में पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से एएसपी (क्राइम)-श्री आयुष गुप्ता द्वारा सायबर क्राइम की घटनाओं के वीडियों एवं उससे बचने के उपाए विस्तार से बताए गए।

कार्यक्रम के प्रारम्भ में स्वागत उद्बोधन में अध्यक्ष-डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट के साथ ही सायबर अपराध की अन्य घटनाओं से बचने के लिए ही आज यह जागरूकता बैठक आयोजित की गई है। हम सभी आज इस बैठक से जागरूक होंगे एवं अपने परिजन एवं मित्रों को भी सायबर अपराध से बचने के उपाए बताएँगे, तब हमारी यह बैठक सार्थक सिद्ध होगी।

इस अवसर पर बैठक का संचालन कर रहे, मानसेवी सचिव-दीपक अग्रवाल ने कहा कि सायबर क्राइम समाज में एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। इस बढ़ती हुई आपराधिक चुनौती से कैसे बचा जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए आज इस बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक के अंत में पुलिस अधीक्षक-श्री धर्मवीर सिंह जी को स्मृति-चिन्ह, उपाध्यक्ष-डॉ. राकेश अग्रवाल द्वारा प्रदान किया गया। अंत में आभार, सायबर क्राइम जागरूकता उपसमिति के संयोजक, श्री जगदीश मित्तल द्वारा किया गया।

कार्यक्रम में संयुक्त अध्यक्ष-हेमन्त गुप्ता, मानसेवी संयुक्त सचिव-पवन कुमार अग्रवाल, पूर्व उपाध्यक्ष-श्री आर. के. खेतान, पूर्व मानसेवी संयुक्त सचिव-श्री ललित गुप्ता पूर्व कोषाध्यक्ष-वसंत अग्रवाल सहित काफी संख्या में कार्यकारिणी समिति सदस्य व सदस्यगण उपस्थित थे।

## हुण्डी लेनदेन हेतु एडवायजरी, आवश्यक रूप से अपनाएँ

1. नकली हुण्डी से बचाव के लिए, जिस व्यक्ति को पैसा दिया जा रहा है, उससे हुण्डी लिखवाने के साथ-साथ एक चेक भी लिया जाए।
2. चेक के पीछे उधार रकम लेने वाले के हस्ताक्षर कराएँ और यह अंकित कराएँ कि ''मैंने जो रकम उधार ली है, उसके एवज में यह चेक प्रदान कर रहा हूँ'' ताकि आवश्यकता पड़ने पर यह चेक उपयोग में आ सके।
3. हुण्डी लिखवाते समय उसके ऊपर चेक नंबर भी अंकित किया जाए।

### उपयोगी सलाह

1. जिस व्यक्ति को पैसा उधार दिया जा रहा है, उसकी नेटवर्थ (संपत्ति) का आंकलन करने के बाद ही पैसा उधार दिया जाए।
2. जिस व्यक्ति की पैसे वापिस लौटाने की क्षमता न हो, उसे अधिक ब्याज के लालच में पैसा उधार न दिया जाए।
3. संभव हो, तो ब्याज भी चेक के माध्यम से ही प्राप्त करें।

नोट : ''कृपया ध्यान दें, दिनांक 21 जनवरी 2025 के बाद हुण्डी पर किए गए लेनदेन में किसी भी विवाद के संबंध में चेम्बर द्वारा जारी की गई आवश्यक सलाह का पालन अनिवार्य होगा। ''म. प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री'' द्वारा केवल उन्हीं प्रकरणों पर विचार किया जाएगा, जो इस सूचना के अनुरूप होंगे।

http://www.mpcci.in
eअर्थवार्ता
मासिक पत्रिका

# विसंगति पूर्ण गारबेज शुल्क, ट्रेड लाइसेंस के लिए व्यवसाईयों पर दबाव, ट्रांसपोर्ट नगर की बदहाल सड़कों के विरोध में आंदोलन की रूपरेखा पर बैठक आयोजित

विसंगति पूर्ण गारबेज शुल्क, ट्रेड लाइसेंस के लिए व्यवसाईयों पर दबाव बनाए जाने सहित ट्रांसपोर्ट नगर की बदहाल सड़कों को मोटरेबल किए जाने की उचित माँगों को नगर-निगम, ग्वालियर द्वारा अनदेखा किए जाने पर चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा पर विचार किए जाने हेतु एक बैठक का आयोजन दि. 12 दिसंबर को 'चेम्बर भवन' में किया गया।

बैठक में उपस्थित हुए व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों एवं कार्यकारिणी समिति सदस्यों द्वारा नगर-निगम द्वारा लिए जा रहे विसंगति पूर्ण गारबेज शुल्क, ट्रेड लायसेंस के लिए जबरिया दबाव बनाए जाने एवं यातायात नगर की बदहाल सड़कों पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहाकि गारबेज शुल्क का युक्तियुक्तकरण होने के बाद भी 1000 वर्गफीट से अधिक के प्रतिष्ठान से 10 हजार रुपये गारबेज शुल्क माँगा जा रहा है, जो कि अवैध वसूली है। युक्तियुक्त किए जाने के बाद भी नगरीय निकाय द्वारा हठधर्मिता के साथ यह वसूली की जा रही है। वहीं शॉप एक्ट के तहत सभी व्यापारियों द्वारा अपना पंजीयन कराया गया है, तो ट्रेड लायसेंस लेने के लिए जबरिया दबाव क्यों बनाया जा रहा है। आखिर नगर-निगम व्यापारियों से एक ही व्यवसाय के कितने कर वसूलेगी। व्यापारी नगर सरकार को कर दे रहा है, लेकिन शहर का एकमात्र ट्रांसपोर्ट नगर जो कि व्यापारियों के माल के आवागमन का केन्द्र बिन्दु है, उसकी सड़कें विगत कई वर्ष से बदहाल हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर माननीय सांसद तक सड़कों के निर्माण का आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया है। इसलिए अब इस हेतु चरणबद्ध आंदोलन का आगाज करना चाहिए।

बैठक की अध्यक्षता कर रहे, अध्यक्ष-डॉ. प्रवीण अग्रवाल द्वारा व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों एवं कार्यकारिणी समिति सदस्यों की सर्वसम्मति पर चरणबद्ध आंदोलन चलाने की घोषणा एवं आंदोलन की रूपरेखा बताते हुए कहा कि पहले चरण में सर्वप्रथम नगर-निगम, आयुक्त को ज्ञापन देंगे। ग्वालियर के जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देंगे एवं ग्वालियर प्रवास पर पधारने पर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। सभी बाजारों में विरोध स्वरूप बैनर लगाए जाएंगे। ट्रेड लायसेंस पर प्रदेश के समस्त चेम्बर्स एवं व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठनों के साथ रणनीति तैयार कर विरोध किया जाएगा। विसंगति पूर्ण गारबेज शुल्क व्यापारी नहीं भरेंगे और ट्रेड लायसेंस भी नहीं बनवाएँ जाएँगे। नगर-निगम प्रशासन यदि जबरिया कार्यवाही करेगा, तो उसका डटकर मुकाबला किया जाएगा।

इस अवसर पर बैठक का संचालन कर रहे, मानसेवी सचिव-दीपक अग्रवाल ने कहाकि 1000 फीट से अधिक क्षेत्रफल की दुकानों से ग्वालियर में नगर-निगम द्वारा 10 हजार रुपये गारबेज शुल्क माँगा जा रहा है, जो कि मध्यप्रदेश के सभी बड़े शहरों की तुलना में सबसे अधिक है। अंत में मानसेवी संयुक्त सचिव-पवन कुमार अग्रवाल ने आभार व्यक्त किया।

बैठक में उपाध्यक्ष-डॉ. राकेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष-संदीपनारायण अग्रवाल, कार्यकारिणी समिति सदस्य-सर्वश्री महेन्द्र साहू, अरुण गुप्ता, संजय अग्रवाल, राजेश माखीजा, दीपक श्रीचंदजैसवानी, आशुतोष मिश्रा, विजय कुमार गोयल, रोशन गाबरा, आशीष अग्रवाल,

दीपक अग्रवाल, सुशांत सिंघल, नंदकिशोर गोयल, किशोर कुमार कुकरेजा, संजय गुप्ता, राजेश बंसल, रवि कुमार गर्ग, मनोज सरावगी सहित दाल बाजार व्यापार समिति के अध्यक्ष-श्री दिलीप पंजवानी, दि ग्वालियर होलसेल क्लॉथ मर्केन्टाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष-श्री राजकुमार गर्ग, नजरबाग मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष-श्री सुरेश बंसल, गाँधी मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष-श्री गिरधारीलाल चावला, ग्वालियर बर्तन निर्माता व्यवसायी संघ के सचिव-श्री माधव अग्रवाल, सराफा संघ ग्वालियर के अध्यक्ष-श्री जवाहर जैन, सचिव-श्री अभिषेक गोयल, टोपी बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष-श्री संदीप वैश्य, खेरीज किराना व्यवसायी संघ से श्री पारस जैन, महाराजपुरा इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष-प्रकाश रोहिरा, सचिव-श्री कपिल जयसिंघानी, पूर्व अध्यक्ष-श्री संजय कपूर, ग्वालियर इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के सचिव-श्री संजय धवन, मैरिज गार्डन एसोसिएशन से श्री संजय सिंह तोमर आदि तथा काफी संख्या में शहर के अन्य व्यवसाईगण उपस्थित थे।

## दिसम्बर 2024 के महत्वपूर्ण प्रयास...

- केन्द्रीय रेलमंत्री-माननीय श्री अश्विनी वैष्णव एवं केन्द्रीय संचार मंत्री-श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र प्रेषित कर, एलटीटी-हरिद्वार एसी एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉप ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध कराए जाने की माँग की गई।
- सांसद-माननीय श्री भारत सिंह कुशवाह एवं जिलाधीश, ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर, जिला सड़क सुरक्षा समिति की दिनांक 18 अक्टूबर 24 को आयोजित बैठक में पाटनकर बाजार में स्थित सवारी ऑटो स्टेण्ड को पेट्रोल पम्प से रिक्त स्थान पर शिफ्ट किए जाने पर बनी सहमति के अनुसार आदेश जारी करने की माँग की गई।
- मुख्यमंत्री-माननीय डॉ. मोहन यादव, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री-माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री-माननीय श्री तुलसी सिलावट, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एव आवास विभाग, आयुक्त-नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय सहित आयुक्त, नगर-निगम, ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर, गारबेज शुल्क में व्याप्त विसंगति को दूर करने, उद्योगों से परिक्षेत्र क्रमांक-3 के अनुसार संपत्ति कर लिए जाने, ट्रेड लायसेंस बनवाने के लिए नगर-निगम के कर्मचारियों द्वारा जबरन दबाव नहीं बनाए जाने सहित ट्रांसपोर्ट नगर की बदहाल सड़कों को मोटेरेबल किए जाने की माँग की गई।
- नगरीय विकास एवं आवास मंत्री-माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय एवं संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर, म. प्र. राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024 के भाग-4 (ग) प्रारूप नियम ''नगरीय विकास एवं आवास विभाग'' भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2024 को प्रकाशित प्रारूप में संशोधन हेतु प्रस्तुत किए गए सुझाव के अनुसार संशोधन करने की माँग की गई।
- अपर आयुक्त, नगर-निगम, ग्वालियर को ज्ञापन सौंपकर, गारबेज शुल्क में व्याप्त विसंगति को दूर करने, उद्योगों से परिक्षेत्र क्रमांक-3 के अनुसार संपत्ति कर लिए जाने, ट्रेड लायसेंस बनवाने के लिए नगर-निगम के कर्मचारियों द्वारा जबरन दबाव नहीं बनाए जाने सहित ट्रांसपोर्ट नगर की बदहाल सड़कों को मोटेरेबल किए जाने की माँग की गई।
- मुख्यमंत्री-माननीय डॉ. मोहन यादव को पत्र प्रेषित कर, विसंगति पूर्ण गारबेज शुल्क, ट्रेड लायसेंस एवं ट्रांसपोर्ट नगर की बदहाल सड़कों पर आयुक्त, नगर-निगम, ग्वालियर द्वारा ज्ञापन नहीं लिए जाने पर शिकायत की गई।
- केन्द्रीय रेलमंत्री-माननीय श्री अश्विनी वैष्णव को पत्र प्रेषित कर, नई दिल्ली-इन्दौर के मध्य व्हाया ग्वालियर-शिवपुरी 'वंदेभारत एक्सप्रेस' का संचालन किए जाने की माँग की गई।
- महापौर-डॉ. श्रीमती शोभा सिकरवार को ज्ञापन सौंपकर, गारबेज शुल्क में व्याप्त विसंगति को दूर करने, उद्योगों से परिक्षेत्र क्रमांक-3 के अनुसार संपत्ति कर लिए जाने, ट्रेड लायसेंस बनवाने के लिए नगर-निगम के कर्मचारियों द्वारा जबरन दबाव नहीं बनाए जाने सहित ट्रांसपोर्ट नगर की बदहाल सड़कों को मोटेरेबल किए जाने की माँग की गई।

http://www.mpcci.in
eअर्थवार्ता
मासिक पत्रिका

# फायर एनओसी पर वर्कशॉप आयोजित

फायर सेफ्टी पर एक वर्कशॉप का आयोजन दिनांक 20 दिसम्बर को 'चेम्बर भवन' में किया गया। इस बैठक में एक्सपर्ट के रूप में कार्यकारिणी सदस्य-श्री आशुतोष अग्रवाल एवं शहर के अधिकृत फायर कंसल्टेंट्स उपस्थित थे।

इस अवसर पर अध्यक्ष-डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि फायर से सुरक्षा के प्रावधान प्रत्येकदुकान, घर एवं उद्योग को करना चाहिए क्योंकि जब कहीं आगजनी की घटना होती है, तो फायर ब्रिगेड को पहुँचने में 20 से 25 मिनिट का समय लग जाता है और यह समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, यदि हमारे परिसर में फायर सेफ्टी के उपकरण उपलब्ध होंगे, तब हम आग की भयावहता को रोक सकेंगे, जिससे जानमाल की सुरक्षा हो सकेगी। आपने कहाकि नगर-निगम के कर्मचारी खाली प्रोफार्मा लेकर घूम रहे हैं और बाजार में दुकानों के बोर्ड देखकर, उन्हें फायर एनओसी के नोटिस थमा रहे हैं, जबकि किसे फायर एनओसी लेना है और किसे सेल्फ सर्टिफाय करना है, उसे यह मालूम ही नहीं है। आज की इस बैठक में हम यह समझेंगे।

वर्कशॉप का संचालन कर रहे, मानसेवी सचिव-दीपक अग्रवाल ने कहा कि नगरीय निकाय व्यापारियों/उद्योगपतियों को तो फायर अपडेट के लिए कार्यवाही कर रहा है, लेकिन वह स्वयं को अपडेट नहीं कर रहा है। कई बार देखा गया है कि आगजनी की घटना को रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाली फायर ब्रिगेड की गाड़ी स्टार्ट तक नहीं हो पाती है। हम तो अपडेट हो रहे हैं, लेकिन नगरीय निकाय को भी अपडेट होना चाहिए।

इस अवसर पर एक्सपर्ट-श्री आशुतोष अग्रवाल ने नेशनल बिल्डिंग कोड में फायर एनओसी के लिए दी गई गाइड लाइन के अनुसार जानकारी देते हुए बताया कि आपके परिसर एवं उसके उपयोग के हिसाब से गाइड लाइन में अलग-अलग नॉर्म्स दिए गए हैं। आपने कहा कि हमें स्वयं तथा अपने परिजनों तथा हमारे कारोबार को सुरक्षित रखने के लिए फायर सेफ्टी अपनाने की बेहद जरूरत है। आपने कहा कि फायर फाइटिंग डर का विषय नहीं होना चाहिए। आपने कहा कि यदि हम फायर सेफ्टी के लिए अपने परिसर में होज रील्स सिस्टम स्थापित करते हैं, तो इसमें बहुत अधिक खर्च नहीं आएगा और हम इसका उपयोग सिर्फ़ आग लगने के दौरान ही न करें। कार वॉश करने में गार्डन में पानी देने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। घर के प्रत्येक सदस्य को फायर फाइटिंग सिस्टम का प्रयोग सीखना चाहिए। घर में मॉक ड्रिल का अभ्यास करें कि यदि आग लगने के कारण घर में अंधेरा हो, तब हम घर से कैसे बाहर निकलेंगे। इस प्रकार की ड्रिल से हम ऐसी परिस्थिति से निपट सकते हैं। आपने बताया कि 15 मीटर से अधिक की ऊँचाई वाली बिल्डिंग है तथा प्रत्येक तल पर कंस्ट्रक्टेड एरिया 500 वर्गमीटर से ज्यादा है, तो फायर एनओसी लेना अनिवार्य है। यदि इससे कम है, तो आपको 'फायर सेफ्टी सिस्टम' अपनाना है और इन पर पेनाल्टी नहीं लगाई जाएगी। 200 वर्गमीटर से ज्यादा का एरिया बेसमेंट है, तब स्प्रिंकलर का उपयोग करना होगा। आपने इसी प्रकार फायर सेफ्टी के प्रावधानों की जानकारी विस्तार से प्रदान की।

इस अवसर पर उपस्थित अन्य फायर एक्सपर्ट द्वारा विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देकर, कारोबारियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। बैठक के अंत में अध्यक्ष-डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि कोई भी उद्योग जब स्थापित होता है, तब फेक्ट्री एक्ट के तहत 'फायर सेफ्टी' के सभी नॉर्म्स को अपनाने के बाद ही स्थापित होता है, तब उनसे पुनः फायर एनओसी के लिए कहना अनुचित है। उद्योगों को फायर एनओसी की अनिवार्यता से बाहर रखने की मांग शासन से की जाएगी। साथ ही, फायर कंसल्टेंट्स की फीस उद्यमियों से कम से कम ली जाए एवं फायर एनओसी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उद्यमियों को परेशानी न आए और उन्हें फायर एनओसी समय पर मिले, इसके लिए हम शीघ्रता से कार्य करेंगे।

वर्कशॉप के अंत में आभार, उपाध्यक्ष-डॉ. राकेश अग्रवाल द्वारा व्यक्त किया गया। इस अवसर पर मानसेवी संयुक्त सचिव-पवन कुमार अग्रवाल, कोषाध्यक्ष-संदीप नारायण अग्रवाल, पूर्व उपाध्यक्ष-आर. के. खेतान, पूर्व मानसेवी संयुक्त सचिव-डॉ. प्रकाश अग्रवाल सहित काफी संख्या में व्यवसाई एवं उद्योगपति उपस्थित थे।

# महापौर, माननीया डॉ. श्रीमती शोभा सिकरवार से भेंट कर, MPCCI पदाधिकारियों ने विसंगति पूर्ण गारबेज शुल्क, ट्रेड लायसेंस एवं ट्रांसपोर्ट नगर की बदहाल सड़कों पर सौंपा ज्ञापन

विसंगति पूर्ण गारबेज शुल्क, ट्रेड लायसेंस एवं ट्रांसपोर्ट नगर की बदहाल सड़कों पर संस्था के पदाधिकारियों द्वारा 21 दिसम्बर,24 को एक ज्ञापन, महापौर-डॉ. श्रीमती शोभा सिकरवार जी को सौंपा।

इस अवसर पर महापौर-डॉ. श्रीमती शोभा सिकरवार ने चेम्बर पदाधिकारियों की बात को काफी ध्यान से सुना और कहा कि 'गारबेज शुल्क' पर व्याप्त विसंगति को दूर करने के लिए सॉफ्टवेयर में सुधार हेतु भोपाल पत्र लिखा जाएगा और उसे ठीक कराया जाएगा। आपने ट्रांसपोर्ट नगर की सड़कों पर कहा कि इसकी टेण्डर प्रक्रिया चल रही है और यथाशीघ्र ही कार्य प्रारम्भ होगा। आपने प्रतिनिधि मण्डल को आश्वस्त किया कि मैं, कंधे से कंधा मिलाकर सदैव व्यापारियों के साथ हूँ। व्यापारियों को कभी-भी कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी।

अध्यक्ष-डॉ. प्रवीण अग्रवाल, संयुक्त अध्यक्ष-हेमन्त गुप्ता, उपाध्यक्ष-डॉ. राकेश अग्रवाल, मानसेवी सचिव-दीपक अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष-संदीप नारायण अग्रवाल द्वारा महापौर-डॉ. श्रीमती शोभा सिकरवार को सौंपे गए ज्ञापन के बिन्दु निम्नानुसार हैं :-

* **विसंगति पूर्ण गारबेज शुल्क की वसूली के लिए बनाए जाने वाले दबाव को खत्म करके परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर पारित आदेश अनुसार गारबेज शुल्क वसूला जाए :** परिषद द्वारा पारित आदेश में गोडाउन शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है, जबकि सम्पत्ति कर के साथ गारबेज शुल्क को वसूलने में यदि किसी व्यापारी का गोडाउन होता है, तब रु. 10 हजार गारबेज शुल्क की मांग की जा रही है। इसके साथ ही, पारित आदेश में 1000 वर्गफीट से अधिक के गैर-आवासीय परिसर का 10 हजार रूपये गारबेज शुल्क वसूले जाने के आदेश नहीं हैं, जबकि 1000 वर्गफीट से अधिक की यदि गैर आवासीय सम्पत्ति होती है, तो उसके ऊपर 10 हजार रूपये गारबेज शुल्क माँगा जा रहा है, जबकि ऐसी संपत्तियों पर यह गारबेज शुल्क इस पुर्नआदेश आने के पूर्व 4000 रूपये वसूला जाता था।

* **ट्रेड लायसेंस :** एमपीसीसीआई द्वारा वर्ष 2016 से इस बात पर आपत्ति की जाती रही है कि उद्योग होने पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा दुकान होने की दशा में 'शॉप एक्ट' के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराया गया है। इसके बावजूद भी नगर-निगम द्वारा ट्रेड लायसेंस लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है और वह ट्रेड लायसेंस जो कि केवल एक ही वित्तीय वर्ष के लिए रहता है और अगले वित्तीय वर्ष के लिए उसका नवीनीकरण कराना पड़ता है। यह इंस्पेक्टर राज को भी बढ़ावा देने वाला है। वहीं यह देश के प्रधानमंत्री, माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के व्यापार में सरलीकरण के सपने में भी सबसे बड़ा अवरोध उत्पन्न करता है। इसलिए ट्रेड लायसेंस किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है।

* **ट्रांसपोर्ट नगर की बदहाल सड़कों को 'मोटेरेबल' किया जाए :** शहर का एकमात्र ट्रांसपोर्ट नगर पिछले कई वर्षों से बदहाली के आंसू बहा रहा है और स्थिति यह है कि जब हम शहर से ट्रांसपोर्ट नगर में वाहन द्वारा माल भेजते हैं अथवा ट्रांसपोर्ट नगर से माल वाहन द्वारा मंगाते हैं, तब इस बात की गारंटी नहीं होती है कि माल एवं उसके साथ आने वाला व्यक्ति सुरक्षित यथास्थान पहुँच पाएगा अथवा नहीं। इतनी बदहाल सड़कें होने के बावजूद भी ट्रांसपोर्ट नगर की सड़कों के निर्माण की बात तो दूर, उन्हें मोटेरेबल तक नहीं किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर की सड़कों की यह बदहाल स्थिति व्यापार में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर रही है। साथ ही इससे ग्वालियर की छवि पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

पदाधिकारियों ने कहा कि यह स्थिति तब है, जबकि ट्रांसपोर्ट नगर से नगर-निगम द्वारा पूरा गारबेज शुल्क वसूल किया जा रहा है और सम्पत्ति

कर, कॉमर्शियल दर से वसूल किया जा रहा है और नहीं देने पर कार्यवाही की जा रही है, जबकि व्यापारिक सुविधा के लिए सड़कों का निर्माण भी नगर-निगम द्वारा किया जाना चाहिए। आपने कहा कि उपरोक्त विसंगति पूर्ण 'गारबेज शुल्क' और 'ट्रेड लायसेंस' के लिए नगर निगम द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। नगर-निगम के कर्मचारियों द्वारा शहर के व्यापारियों को धमका कर, कहा जा रहा है कि कमिश्नर साहब का आदेश है कि ट्रेड लायसेंस बनवाओ, नहीं तो आपकी दुकान सीज कर दी जाएगी।

पदाधिकारियों ने कहा कि यह तुगलकी कार्यवाही की श्रेणी में आता है। इसलिए इस प्रकार की कार्यवाही पर तत्काल रोक लगाई जाए और गारबेज शुल्क की जो विसंगति है, उसे दूर किया जाए तथा ट्रांसपोर्ट नगर की सड़कों के उच्च गुणवत्ता पूर्ण निर्माण से पूर्व उन्हें मोटेरेबल किया जाए। प्रतिनिधि मण्डल ने चर्चा के अंत में आशा व्यक्त की कि आप अवश्य ही इस 'ज्ञापन' में उल्लेखित बिन्दुओं पर गंभीरतापूर्वक कार्यवाही करते हुए आवश्यक कदम उठाएँगी, जिससे हमें आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा।

## कार्यकारिणी समिति की बैठक

दिनांक 28 दिसम्बर,24 को आयोजित कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :-

* संविधान अध्याय-1 की धारा-4 की उपधारा-4.2 के अनुसार तीन वर्षीय अवशेष सदस्यता शुल्क धारी सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने के संबंध में विचार कर 04 फर्मों की सदस्यता समाप्ति के लिए 10 दिन का समय निर्धारित किया गया। 10 दिन के पश्चात् सदस्यता स्वतः समाप्त होने का निर्णय लिया गया।
* ''हुण्डी उपसमिति'' की बैठक दि. 16 दिसंबर,24 में की गई अनुशंसा पर विचार कर, चेम्बर द्वारा सलाह जारी करने का निर्णय लिया गया।
* पुराने 'सचिवालय' का नवीनीकरण (Renovation) किए जाने का निर्णय लिया गया।
* केयर टेकर, श्री रामबालक सिंह कुशवाह की सेवा निवृत्ति पर नियमानुसार देय ग्रेच्युटी राशि का भुगतान कर, फूलमाला व शॉल-श्रीफल के साथ, ससम्मान विदाई दी गई।

## सदस्य उपलब्धि...

**श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव (राजा) बने ''अखिल भारतीय कायस्थ महासभा'' के 'राष्ट्रीय सचिव'**

सदस्य-श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव को अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का 'राष्ट्रीय सचिव' मनोनीत किया गया है।

पदाधिकारियों ने इस उपलब्धि पर श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं।

### सुविचार...

* जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चयी होते हैं, तो पूरी दुनिया आपके लिए रास्ता बना देती है।
* सकारात्मक सोच, सकारात्मक परिणाम लाती है।
* जीवन में सबसे बड़ी खुशी, दूसरों को खुश करने में है।

**प्रेषक :** स्वामी म. प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के लिए प्रकाशक, दीपक अग्रवाल द्वारा ग्राफिक्स वर्ल्ड, ग्वालियर से डिजाइन तथा 'चेम्बर भवन', एस.डी.एम. मार्ग, ग्वालियर से प्रकाशित. संपादक-दीपक अग्रवाल, दूरभाष-2371691,2632916,2382917